



## DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Kargi Road, Kota, Dist.-Bilaspur (C.G), Ph. : +91-7753-253801  
Fax : 07752-253728, email : info@cvru.ac.in  
visit us at : www.cvru.ac.in

क्र.199 / कु.स. / सी.वी.आर.यू. / 2016

बिलासपुर, दिनांक : 05.09.16

प्रति,


अध्यक्ष महोदय,  
छत्तीसगढ़ निजि विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय का माह अगस्त – 2016 का  
मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत, डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय द्वारा माह अगस्त – 2016  
का मासिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जा रहा है।

सादर्,

  
कुलसुम चिव



# डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय

करगीरोड कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

## मासिक प्रगति पत्रक

माह :— अगस्त — 2016

01	विश्वविद्यालय का नाम एवं स्थापना वर्ष।	डॉ. सी. वी. रामन् वि. वि., स्थापना वर्ष नवम्बर 2006,
02	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी।	<p>फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी          बी. ई. (कम्प्यूटर साईंस)          बी. ई. (इन्फारेंशन टेक्नालॉजी)          बी. ई. (इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन)          बी. ई. (इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स)          बी. ई. (मेकनिकल)          बी. ई. (सिविल)</p> <p>फैकल्टी ऑफ एजुकेशन          बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.)          मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम. एड.)</p> <p>मास्टर ऑफ फिलोसॉफी          (विभिन्न पाठ्यक्रमों में संचालित)</p> <p>फैकल्टी ऑफ कॉमर्स          (बी. काम.)          (एम. काम.)          (एम.बी.ए.)</p> <p>फैकल्टी ऑफ इन्फारेंशन टेक्नालॉजी          एम.एस.सी. (आई.टी.) (मास्टर ऑफ इफरेंशन टेक्नोलॉजी)          पीजीडीसीए (पेरस्ट ग्रेज्युएट डिलोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन)          बी.सी.ए. (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन)          डी.सी.ए. (डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन)</p> <p>फैकल्टी ऑफ आर्ट्स          बी. ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)          एम. ए. (मास्टर ऑफ आर्ट्स)</p> <p>फैकल्टी ऑफ साईंस          फैकल्टी ऑफ लॉ          शोध पाठ्यक्रम          दूरवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रम</p>
03	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विनियामक इकाईयों के द्वारा हॉ, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये संबंधित विनियामक	

	सक्षम अनुमति प्राप्त कर ली गई है? यदि हां, तो तत्संबंधी आदेश की छायाप्रति।	इकाईयों के द्वारा सक्षम अनुमति प्राप्त कर ली गई है। तत्संबंधी आदेश की छायाप्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
04	विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं (भवन, प्रयोगशाला, ग्रंथालय, खेल मैदान, फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सुविधायें।)	विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधायें पर्याप्त हैं।
05	क्या विश्वविद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधायें संचालित पाठ्यक्रमों के अनुरूप हैं?	उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं, पाठ्यक्रमों के अनुरूप हैं। नए उपकरणों का क्रय किया जा चुका है। नया फर्नीचर एवं लाईब्रेरी के लिये पुस्तकों इत्यादि का क्रय भी किया जा चुका है।
06	विश्वविद्यालय में कार्यरत् अधिकारियों की जानकारी।	विश्वविद्यालय में 24 विभाग संचालित है, जिसमें शिक्षक एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नियमानुसार मापदण्डों के आधार पर एवं योग्यता के अनुरूप की जाती है।
07	विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षक।	विश्वविद्यालय में 24 विभाग संचालित है, जिसमें शिक्षक एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नियमानुसार मापदण्डों के आधार पर एवं योग्यता के अनुरूप की जाती है। विभाग में छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर शिक्षकों एवं गैर शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति की गई है।
08	क्या विश्वविद्यालय में कार्यरत् शिक्षकों की योग्यता एवं अनुभव निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है?	शिक्षकों की नियुक्ति नियमानुसार की गई है एवं मापदंडों के अनुरूप है।
09	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों की संख्या मापदंडों के अनुरूप है ?	शिक्षकों की संख्या मापदंडों के अनुरूप है, एवं छात्रों की संख्या के अनुसार है।
10	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के लिए परिनियम/अध्यादेश का अनुमोदन प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो उसका विवरण।	परिनियम एवं अध्यादेश विधिवत् अनुमोदित है एवं माननीय आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के परिनियम के आधार पर निम्न ईकाइयों का गठन किया गया है, जिसमें अंतर्गत शासी निकाय, प्रबंध मंडल एवं अकादमिक कांज़सिल का गठन किया गया है, जिसमें प्रबंध मंडल द्वारा समय-समय पर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन


		कर अपग्रेड किया जाता है, तथा उच्च कोटि के लैब, लाईब्रेरी का निर्माण पाठ्यक्रमानुसार किया गया है। प्रबंध मंडल द्वारा समय-समय पर शोध कार्य हेतु सेमीनार, वर्कशाप एवं फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया जाता है।
11	क्या विनियामक आयोग/शासन के द्वारा निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया गया है? यदि हाँ, तो निरीक्षण में पाई गई कमियों तथा कमियों को दूर करने के लिये विश्वविद्यालय को दिये गये निर्देश, क्या विश्वविद्यालय द्वारा शासन/विनियामक आयोग के निर्देशों का पालन किया गया है?	हाँ, माननीय आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 07.01.2014 को किया गया था। माननीय आयोग के निर्देशों का पालन नियमानुसार किया जा रहा है।
12	विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर संक्षिप्त प्रतिवेदन।	विश्वविद्यालय द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमानुसार एवं अध्यादेशों के अनुरूप प्रवेशित छात्र-छात्राओं द्वारा दी गई शुल्क द्वारा विश्वविद्यालय में अलग-अलग विभागों के लिये भवन, प्रयोशालाओं का निर्माण एवं उच्च कोटि के आधुनिक उपकरणों का क्रय, समस्त विभाग के अधिकारीगण, शिक्षणगण एवं कर्मचारियों के लिये फर्नीचर, ग्रंथालय में विभागानुसार पुस्तकों का क्रय एवं ग्रंथालय में छात्र-छात्राओं के लिये अध्ययन करने के लिये उच्च कोटि की व्यवस्था मापदण्डों के अनुरूप, आवागमन साधन एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ति की जा रही है। वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा युनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी ऋण लिया गया है, विश्वविद्यालय की पितृ संस्था द्वारा भी विश्वविद्यालय को समय-समय पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति नियमानुसार नियमित रूप से है।
13	छात्रों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, लिये जाने वाले शुल्क की जानकारी।	छात्रों से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, लिये जाने वाले शुल्क की जानकारी पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
14	क्या शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क	अध्यादेशों के अनुकूल ही शुल्क लिया

	विद्यार्थियों से लिये जाते हैं? यदि हाँ तो उसका औचित्य।	जाता है, अतिरिक्त शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है।
15	क्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम यूजीसी, एआईसीटीई या अन्य विनियामक इकाईयों के मार्गदर्शक बिन्दुओं के अनुरूप हैं?	विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रम यूजीसी की सूची (22) के अनुरूप है तथा एआईसीटीई, एनसीटीई या अन्य विनियामक इकाईयों के अनुसार है एवं अनुमोदित है, जिसका निरीक्षण संबंधित इकाईयों द्वारा तथा आयोग द्वारा किया जा चुका है।
16	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियां।	<ul style="list-style-type: none"> <li>— डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय एवं हरिभूमि समाचार पत्र द्वारा संयुक्त रूप से हरियाली अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के स्कूलों, चौक-चौराहों, निजी नर्सिंग होम एवं आसपास के क्षेत्रों में टीमों ने जाकर विभिन्न प्रकार के पौधों जिसमें बेल, आंवला, नीम, मुनगा, सतपर्णी, नींबू, सीताफल, जामुन, अर्जुन केसिया एवं सुरक्षा के लिये ट्री गार्ड लगाये।</li> <li>— प्रदेश के सभी 530 शासकीय व अशासकीय महाविद्यालयों में कौशल विकास की पढ़ाई होगी। इसके लिये कौशल विकास के पाठ्यक्रमों में सत्र 2016–17 के लिये प्रवेश प्रारंभ हो गया है। विद्यार्थी अपने नियमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ रोजगार मूलक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर स्किल में दक्षता हासिल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय के पं. दीनदयाल कौशल केन्द्र को रिसोर्स सेंटर बनाये जाने के बाद पढ़ाई प्रारंभ की जा रही है। बैचेलर ऑफ वोकेशन कोर्स की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिये अच्छी खबर है, कि अब उनकी यह डिग्री स्नातक डिग्री के रूप में मान्य होगी। इसके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने</li> </ul>

कोर्स की डिग्री को यूजीसी एकट 1956 की धारा 22 (3) के अंतर्गत 19 जनवरी 2013 के भारत के राजपत्र में शामिल किया गया है।

- आजादी की 70 वीं वर्षगांठ पर डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैपस में स्वतंत्रता दौड़ आयोजित की गई एवं विद्यार्थियों ने भारतीय सैनिकों के लिये देशभक्ति के जब्ते भरे पोस्टर, पेंटिंग, प्रिटिंग, ग्रिटिंग व संदेश तैयार किया।
- विद्यार्थियों को कानून की जानकारी देने के लिये सीवीआरयू में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इसमें विद्यार्थियों ने बाल श्रम, मानव तस्करी, बाल विवाह, टोनही प्रताड़ना, एंटी रैगिंग एकट, साईबर लॉ, भारतीय सविंधान, सूचना का अधिकार, मोटर व्हीकल एकट सहित अनेक कानून के नियमों को जाना एवं समझा।
- राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय में व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेल विभूतियों ने जीवन में खेल के महत्व पर विषय पर व्याख्यान दिया। विद्यार्थियों ने मेजर ध्यान के आदर्शों को आत्मसात करके खेल में प्रदेश और देश को नये आयाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
- सत्र 2016–17 की प्रवेश, शैक्षणिक गतिविधियों एवं प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना। नवीन पाठ्यक्रमों के अनुरूप

17	विश्वविद्यालय के संचालन में आने वाली प्रशासनिक, अकादमिक एवं अन्य कठिनाईयों की जानकारी।	- GAD के Circular में अभी तक विश्वविद्यालय का नाम समस्त विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
----	--	---



कुलसचिव